न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 53/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बाबुराम पुत्र देवाराम जाट निवासी नांदिया खुर्द, तह0 बावडी जिला जोधपुर		1. **गोरधनराम पुत्र लिछमणराम** 2. **मांगी पत्नी गोरधनराम** (जातियान जाट निवासी नान्दिया खुर्द, तहसील बावडी जिला जोधपुर) 3. **प्रहलादराम पुत्र देवाराम** 4. **भगाराम पुत्र देवाराम** 5. **अनाराम पुत्र देवाराम** 6. **टीकूराम पुत्र देवाराम** 7. **उगमादेवी पत्नी देवाराम** (जातियान जाट निवासी नांदिया खुर्द, तह0 बावड़ी, जिला जोधपुर) 8. **राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी, प्रकरण संख्या 79/2019 दिनांक 28.05.2020

उपस्थित–

1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलाण्ट
2. श्री कानाराम गोदारा रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोड़ेन्ट संख्या 8
4. रेस्पो0 सं0 2 से 7 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 09. .04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2–गोरधनराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील बावडी के ग्राम नान्दिया खुर्द स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 264/1 रकबा 90.17 बीघा तथा खसरा नं0 264 रकबा 90.18 बीघा कुल रकबा 2 कुल रकबा 181.15 बीघा खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु विप्रार्थी–अपीलांट–बाबुराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2020 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बावड़ी को ख0नं0 264/1 तथा 264 की भूमि की मौके पर माप चोप करवाकर पत्थर के मुटाम रोप कर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि रेस्पो0सं0 1 व 2 के सेढा–सेढ स्थित है, जिसमें माठ को लेकर विवाद है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र का विधिवत जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था। बाद में कोरोना महामारी के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा निर्णय में अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति बतला दी गई, जबकि लॉक डाउन के कारण वे उपस्थित नही हुए थे। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों के साथ विवाद होना बताया गया है। उक्त खसरान की भूमि की कोई पेमाईश व सीमाज्ञान नही करवाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी रेस्पो0सं0 1 व 2 पत्थरगढी की आड में अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम नान्दिया खुर्द स्थित उल्लेखित खसरान की भूमि का क्षेत्रफल बड़ा है तथा अपीलांट–अप्रार्थीगण जबरदस्ती हल तविया चलाकर रेस्पोसं0 1 व 2 प्रार्थीगण की भूमि खुर्द–बुर्द कर अतिक्रमण करने को आमदा है, जिससे इनके मध्य खेत की सीमा को लेकर विवाद होने पत्थगढी हेतु आवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की सुनवाई उपरांत तहसीलदार बावड़ी को ख0नं0 264/1 तथा 264 की भूमि की मौके पर माप चोप करवाकर पत्थर के मुटाम रोप कर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अधीनस्थ

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।'

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–अप्रार्थीगण द्वारा 07.02.2020 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त खसरान की भूमि की बिना पेमाईश रिपोर्ट के पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना विधिसम्मत नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज फरमानें का आग्रह किया गया था, बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट तलब नही की गई।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 79/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2020 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 व 2 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 09 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर